

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

अधिसूचना


संचिका संख्या-01/न.-01-01/2010 (खण्ड) 3024 राँची, दिनांक 29/11/2022

विभागीय संकल्प संख्या-323 दिनांक 23.10.2009 के द्वारा नेतरहाट आवासीय विद्यालय को "नेतरहाट विद्यालय समिति" के नाम से एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में परिवर्तित एवं स्थापित होने के फलस्वरूप एवं नेतरहाट विद्यालय समिति की नियमावली के नियम-13 एवं 15 के आलोक में नेतरहाट विद्यालय समिति की कार्यकारिणी समिति का पुनर्गठन निम्नरूपेण किया जाता है :-

1. श्री संतोष उराँव (नेतरहाट आवासीय विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र) - सभापति
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची। - सदस्य
3. वित्त विभाग के प्रतिनिधि (वित्त सचिव द्वारा मनोनीत सदस्य) - सदस्य
4. डॉ० कामिनी कुमार (राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद्) - सदस्य
5. डॉ० उपेन्द्र प्रसाद (नेतरहाट विद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक) - सदस्य
6. श्री शैलेश कुमार सिंह (नेतरहाट आवासीय विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र) - सदस्य
7. प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट - सदस्य सचिव

2. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


29.11.22

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-01/न.-01-01/2010 (खण्ड) 3024 राँची, दिनांक 29/11/2022


प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना की 600 प्रतियाँ अविलम्ब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


29.11.22

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-01/न.-01-01/2010 (खण्ड) 3024 राँची, दिनांक 29/11/2022

प्रतिलिपि :- झारखण्ड राज्य के महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड/महालेखाकार, झारखण्ड/सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक/कोषागार पदाधिकारी, लोहरदगा/लातेहार/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक/प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट/सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


29.11.22

सरकार के संयुक्त सचिव।